

विदेश अधिनयम

Prepared By-

Gaurav Rana (Computer Teacher)
Police Training College
Moradabad

Presented By-

N K Sharma (SPO)
Police Training College
Moradabad

लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम—1984

धारा 2:— परिभाषा:—

कः— रिष्टि:— जो कोई इस आशय से या जानते हुए कि वह लोक सम्पत्ति (जनता / सार्वजनिक) को सदोष हानि या नुकसान पहुँचाता है, जिससे उस सम्पत्ति के मूल्य / उपयोगिता नष्ट / कम हो जाती हैं।

(ख) **लोक सम्पत्ति:**— केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, कम्पनी अधिनियम एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम की समस्त चल व अंचल सम्पत्ति एवं केन्द्र व राज्य के निगम की सम्पत्ति।

धारा 3:— लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने वाली क्षति:—

1.उपधारा 2 में दी गई लोक सम्पत्ति के सिवाय जो कोई किसी कार्य को करके लोक सम्पत्ति को रिष्टि कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

उपधारा—2, जो कोई निम्न प्रकार की किसी लोक सम्पत्ति को ,किसी कार्य को करके रिष्टि कारित करता है—

क. जल, प्रकाश, बिजली अथवा ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के संबंध में प्रयुक्त कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

ख. कोई तेल प्रतिष्ठान

ग. कोई मल संकर्म (Sewage works)

घ. कोई खान या कारखाना

ड़ लोक परिवहन (Public Transport) रेल, बस, दूरसंचार का कोई साधन अथवा उनसे संबंधित कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति

न्यूनतम —6 माह किन्तु 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

न्यायालय अपने निर्णय में कारण लेखबद्ध करते हुये 6 माह से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी दे सकेगा ।

संज्ञेय— अजमानतीय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय

धारा—4, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक सम्पत्ति को नुकसान करने वाली रिष्टि—जो कोई धारा 3 की उपधारा—1 या उपधारा—2 के अधीन का अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करता है तो न्यूनतम एक वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

न्यायालय अपने निर्णय में कारण लेखबद्ध करते हुये एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी दे सकेगा।(सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय)

धारा—5, जमानत के बारे में विशेष उपबन्ध

अभियुक्त या सिद्धदोष व्यक्ति को बिना अभियोजक को सुने जमानत पर नहीं दोड़ा जायेगा।

धारा-6, व्यावृत्ति- इस अधिनियम के उपबन्ध मौजूदा किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगें न कि उसके अल्पीकरण के रूप में।

इस अधिनियम के अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार संज्ञेय/ अजमानतीय आदि होगें।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970

(UP Control of Goondas Act, 1970)

धारा—1, इसका प्रसार सम्पूर्ण उपरोक्त में होगा।

धारा—2, परिभाषाये

क. जिला मजिस्ट्रेट— जिला मजिस्ट्रेट के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी होगा।

अधिसूचना सं 1528 / 6—पु ०—९—३०(2)(1) / ८३ दिनांक ४ जुलाई 1991 के द्वारा राज्यपाल महोदय समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन तथा वित्त राजस्व)को क्रमशः अपनी अपनी तैनाती के जिले की सीमा के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये शक्ति प्रदान करते हैं।

ख. गुण्डा—गुण्डा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

1. जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में भारतीय की धारा 153 या धारा 153—ख, या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 16, 17, 22 के अधीन दंडनीय अपराध को अभ्यस्तः करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है या
2. जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये न्यायालय से सिद्धदोष हो चुका है।
3. जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 या सार्वजनिक जुआ अधिनियम या आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25, 27, या धारा 29 के अधीन दंडनीय अपराध के लिये कम से कम तीन बार दंडित हो चुका हो।
4. जिसकी सामान्य ख्याति दुर्साहसिक और समाज के लिये एक खतरनाक व्यक्ति की है या

5. जो अभ्यस्तः महिलाओं या लड़कियों को चिढ़ाने के लिये अश्लील टिप्पणियाँ करता हो।
6. जो दलाल हो— इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति आयेंगे जो अपने लिये या दूसरों के लिये लाभ प्राप्त करते हों, प्राप्त करने के लिये सहमत होते हो या प्रयास करते हों जिससे वह किसी लोक सेवक को या सरकार, विधान मंडल, संसद के किसी सदस्य को किसी पक्षपात के द्वारा कोई कार्य करने या न करने के लिये प्रेरित करते हों।
7. जो मकानों पर अवैध कब्जा करते हैं।

स्पष्टीकरण—“मकानों पर कब्जा करने वाले से” तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नाजायज/बिना अधिकार कब्जा ग्रहण करता है या ग्रहण करने का प्रयास करता है या करने के लिये सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है या वैध रूप से प्रवेश करके भूमि, बाग, गैरेजों को शामिल करके भवन या भवन से संलग्न बाहरी गृहों के कब्जा में अवैध रूप से बना रहता है।

धारा—3, गुण्डों का निष्कासन आदि— यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति गुण्डा है और जनपद में या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियाँ या कार्य व्यक्तियों की जान या उनकी सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट अथवा नुकसान उत्पन्न कर रही हैं या यह विश्वास करने का आधार है कि वह जनपद में या उसके किसी भाग में धारा—2, में वर्णित खण्ड—ख, के उपखण्ड—1 से 3 तक वर्णित अपराधों में लगा हुआ है अथवा उसके लगने की संभावना है और गवाह उसके डर के मारे उसके विरुद्ध गवाही देने के लिये तैयार नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को एक लिखित नोटिस के द्वारा उसके विरुद्ध लगाये आरोपों से सूचित करेगें और उसे अपना उत्तर देने के लिये अवसर प्रदान करेंगे।

2. जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है उसको किसी अधिवक्ता के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और यदि वह चाहता है तो उसको व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का भी अवसर दिया जायेगा और वह

और वह अपनी प्रतिरक्षा में गवाह भी पेश कर सकता है।

3. यदि जिला मजिरो का यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति की गतिविधियों धारा—3 की उपधारा—1, के अन्तर्गत आती हैं तो वह उस व्यक्ति को अपने जनपद के किसी क्षेत्र से या जनपद से 6 माह तक के लिये निष्कासन का आदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी आदेश कर सकते हैं कि वह आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति को अपनी गतिविधियों की सूचना देने अथवा उसके समक्ष उपस्थित होने अथवा उक्त दोनों कार्य करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

धारा—4, निष्कासन के पश्चात अस्थाई रूप से वापिस आने की अनुमति—जिला मजिरो किसी गुण्डे के निष्कासन के बाद उसे अस्थाई रूप से उस क्षेत्र में आने की अनुमति दे सकते हैं जहाँ से वह निष्कासित किया गया था।

‘

धारा—5, आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी—जिला मजिठी धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को सामन्य जनता के हित में समय—समय पर बढ़ा सकते हैं, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

धारा—6, अपील— धारा 3 या 4 या 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 15 दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है। आयुक्त अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को स्थगित कर सकते हैं।

धारा—10, धारा 3 से 6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर दड़— यदि कोई गुड़ां धारा 3,4,5,6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे तो न्यूनतम 6 माह से जो 3 वर्ष तक का हो सकता है के कठिन कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

धारा-11, निष्कासित गुंडे द्वारा अरदेशों का उल्लंघन करते हुये पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना—

1. जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफतार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निर्देश दे हटवा सकता है।
 2. कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफतार कर तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा, जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो पुलिस अभिरक्षा में उसे हटवा सकेगा।
 3. इस धारा के उपबन्ध धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त है और धारा 10 के प्रभाव को कम नहीं करते।
-

विस्फोटक अधिनियम—1884

उद्देश्यः— विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियम् ।

धारा 1:— नाम

धारा 2— इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

धारा 4:— परिभाषाएः— विस्फोटकः— विस्फोटक से अभिप्रेत है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, गनकाटन, डाईनाइट्रो-टोल्यून, ट्राई नाइट्रो-टोल्यून, एसिड-डाईट्रॉफिलान, टाई-नाइटोरिसासिनाल, साइक्लोटाई मैथिलिन, टाई नाइटामाइन, पेन्टाएरिथ्रीटाल्टेटाई नाईट्रेट, लेड, एजाइड, लेडस्टाफाइनेट, पारे या अन्य धातु का फल्मिनेट, रंगीन आतिश या अन्य पदार्थ चाहे वह एक रसायन हो या पदार्थ का मिश्रण हो, चाहे व ठोस या तरल या गैसीय हो, जिसका प्रयोग या विनिर्माण विस्फोट द्वारा व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करना या आतिशबाजी करना हो और कोहरा संकेत, आतिशबाजी, पलीते, राकेट, आघात टोपियॉ विस्फोट प्रेरक कारतूस सभी प्रकार के गोला बारूद एवं परिभाषित विस्फोटक का प्रत्येक अनुकूलन या निर्मित इसके अन्तर्गत है।

(बारूद, आतिशबाजी या अन्य पदार्थ, जो अधिनियम में परिभाषित है, जिससे विस्फोट कारित हो सके)

धारा 4 कः— वायुयानः— पतंग, वैलून, ग्लाइडर, उड़्यन मशीनें भी सामिल हैं।

धारा 4 खः— गाड़ी— भूमि पर माल या यात्रियों को ले जाने वाला कोई साधन चाहे व किसी भी प्रकार से चलाया जाय।

धारा 4 ग— जिला मजिस्ट्रेट— के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त (जहाँ पुलिस आयुक्त नियुक्त हो और तथा राज्य सरकार द्वारा इस हेतु निमित्त विनिर्दिष्ट पुलिस उपायुक्त, तथा कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है)

धारा 4 जः— विनिर्माण— के अन्तर्गत किसी विस्फोटक के संबंध में निम्न प्रक्रिया भी है—

1— विस्फोटक को उसक संघटक भागों में विभाजित करने अथवा टोड़ने अथवा विघटित करने अथवा किसी खराब विस्फोटक को प्रयोग के योग्य बनाना है।

2— विस्फोटक को फिर से बनाना उसमें परिवर्तन करना और उसकी मरम्मत करना है।

धारा 5:- विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, प्रयोग, विक्रय, परिवहन और आयात-निर्यात का लाइसेन्स देने के बारे में नियम बनाने की शक्ति:-

केन्द्रीय सरकार भारत के किसी भाग के लिए विस्फोटकों या विस्फोटकों के किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का निर्माण, कब्जा, प्रयोग, विक्रय परिवहन, आयात-निर्यात हेतु लाइसेन्स आदि के लिए नियम बना सकेगी।

केन्द्र सरकार अन्य विषयों के अलावा अन्य नियम जैसे वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा अनुज्ञाप्ति दी जा सकेगी, फीस और अन्य राशियाँ, आवेदन किये जाने का तरीका, तथा वह शर्तें जिन पर लाइसेन्स दिया जायेगा, कालावधि, अपील प्राधिकारी, अपील संबंधी प्रक्रिया, विस्फोटकों की कुल मात्रा, जिसे लाइसेन्सी एक नियम अवधि में क्रय कर सकता है आदि के नियम भी बना सकेगी

धारा 9खः— कतिपय अपराधों के लिए दण्डः— १— जो कोई धारा ५ के अधीन बनाये गये नियमों का या उक्त नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञाप्ति (लाइसेन्स) की शर्ते के उल्लंघन में—

5/9ख-1

कः— किसी विस्फोटक का विनिर्माण, आयात या निर्यात करेगा व तीन वर्ष के कारावास से या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा— अजमानतीय

खः— किसी विस्फोटक को कब्जे में रखेगा, प्रयोग, विक्रय या परिवहन करेगा वह दो वर्ष तक के कारावास से या तीन हजार रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।— जमानतीय

गः— किसी अन्य मामले में ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा। जमानतीय

6/9ख-2

2— जो कोई धारा 6 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण करेगा या उसका कब्जा रखेगा या आयात करेगा— तीन वर्ष तक का कारावास की सजा— अजमानतीय

6/9ख-3

3— क— 18 वर्ष से कम आयु, हिंसा या नैतिक अधमता मे न्यूनतम छः माह की सजा से दण्डित (दण्डादेश की समाप्ति के पाँच वर्ष की अवधि के दौरान तक), द०प्र०सं० की धारा 107 / 116, 109, 110 में पाबन्द व्यक्ति को पाबन्दी के दौरान कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक का निर्माण, विक्रय परिवहन, आयात— निर्यात करेगा या कब्जा रखेगा। 3 वर्ष तक का कारावास— अजमानतीय

ख:- जो कोई उपरोक्त व्यक्तियों को किसी विस्फोटक का विक्रय, परिदान या प्रेषण करेगा वह तीन वर्ष तक की सजा से दण्डित किया जायेगा। अजमानतीय

गः— जो कोई विस्फोटक का निर्माण या कब्जे वाले स्थान का अधिभोगी होते हुए अथवा विस्फोटक से लदे यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए उस स्थान या यान पर अग्नि या विस्फोटक द्वारा होने वाली दुघटना की सूचना मुख्य विस्फोटक नियन्त्रक और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं देता है वह 500 रुपये तक के जुर्माने से एवं दुघटना में मानव जीवन की हानि होने की दशा में 3 माह तक के कारावास से दण्डनीय होगा।

नोटः— धारा 9ख की उपधारा (1)(क) एवं उपधारा 2 अजमानतीय एवं शेष सम्पूर्ण धारा जमानतीय है।

ЕРУДИТ